न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1807

दिनांक 16/12/2021

प्रार्थीगण :-
1.गोगा पुत्र भीखा एवं
प्रार्थी सं. 2 से 30
जातियान मेघवाल, निवासी बिसारणिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1.काछू पुत्र हेमा एवं
विप्रार्थी सं. 2 से 22
निवासी बिसारणिया
23.तहसीलदार चौहटन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 07/2021

दिनांक : **16.12.2021**

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में पटवार क्षेत्र बिसारणिया के मौजा बिसारणिया के खेत खसरा सं. 829 रकबा 172.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रूपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1808 to 1811

दिनांक 16/12/2021

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण गोगा वगैरा
3. विप्रार्थीगण काछू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन